

प्रेषक,

अशोक कुमार,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मैं,  
मुख्य बल संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
30प0 लखनऊ।

बन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, १९ फरवरी 2016

घिन्डय:- इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग द्वारा लुम्बिनी दुही मार्ग (एस0एच0-5) के किमी० संख्या-355 के किनारे दायीं पटरी में ग्राम बघौड़ा तहसील मडिहान जिला भीरजापुर के आ०सं०-495 में प्रस्तावित रिटेल आॅटलेट में प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु 0.0675 हेतु बन भूमि का बन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यिना वृक्ष पातन के गैर वालिकी प्रयोग की अनुमति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1613/11-सी/एफपी/यूपी/अदर्स/10676/2015 दिनांक 03-02-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बल्प में मुझे यह कहने का निटेश हुआ है कि पर्यावरण एवं बन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ0एन0-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 व एफ0एन0-11-09/98-एफसी, दिनांक 21-08-2014 के इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिंग द्वारा लुम्बिनी दुही मार्ग (एस0एच0-5) के किमी० संख्या-355 के किनारे दायीं पटरी में ग्राम बघौड़ा तहसील मडिहान जिला भीरजापुर के आ०सं०-495 में प्रस्तावित रिटेल आॅटलेट में प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु 0.0675 हेतु बन भूमि का बन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यिना वृक्ष पातन के गैर वालिकी प्रयोग की संदान्तिक स्वीकृति एतद्वारा लिम्लिखित शर्ती/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:

- (1) बन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेत के लिमाण के लिए बन भूमि के गैर वालिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाँड़ लाइन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- (2) सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को यिना क्षति पहुंचाये उपर्युक्त राइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित है।
- (3) फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1-1.5 मीटर) कम ऊब के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्स स्थानों पर उपर्युक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।

- (5) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का होत्रपाल विसी भी दशा में 1.00 हेठ से कम होगा।
- (6) इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (बीड बैस्ड) आधारित है।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-५-३/२००७- एफ०सी० दिनांक ०५-०२-२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की घनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण लिथि प्रबन्धन तथा योजना प्राप्तिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में बन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी घनराशि का बैंक डाफट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आड्या (जिसमें जमा की गयी घनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा घनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- (8) उपरोक्त् आदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निषियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण लिथि प्रबन्धन तथा योजना प्राप्तिकरण के तदर्यां लिकाय के लेखा संख्या-एस०वी०-२५२३०, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
- (9) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (10) नोडल अधिकारी, ३०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की ०५ तरीख तक इस तरह के जारी अनुगति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (11) प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाला (बन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फलोरा/फाला के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- (12) प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षक) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (13) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

- (14) उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, 3040 सरकार को बिला किसी प्रतिकर का शुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (15) भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी0(पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम रूप से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की इष्टि से स्टैंडिंग कमेटी औफ लेशनल बोर्ड औफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (16) उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (17) राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुशृणुवन के अधीन होंगी।
- (18) प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0यी0 संशोधित होती है तो वही हुई घनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- (19) प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/लेशनल पार्क में समिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायी है।
- (20) सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वनभूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
- (21) प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।
- (22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (24) इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 मैं उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (25) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा

प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानविक प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (slip) फाइल में दर्शाया गया।

- (26) प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ०एन० संख्या-11-268/2014 एफसी, दिनांक 11-07-2014 में नये दिशा-निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
- (27) प्रस्तावक के द्वारा वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा।
- (28) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित ज़िले के ज़िलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिग जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (29) उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

- 3- कृपया नदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)


विशेष संविध

#### संख्या-पी-26(1)/14-2-2016-तददिनांक

पत्रिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक यांत्रिकी हेतु प्रेषित -

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, होशीर यार्यालय, (आध्य) अलीगंज, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन सरकार, मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
- 3- ज़िलाधिकारी, मिर्जापुर।
- 4- प्रधानीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर।
- 5- श्री अशोक कुमार गुप्ता एस०डी०आर०एम० इंडियन ऑयल कारपो० लि० (विओप्र०) इलाहाबाद मण्डलीय कार्यालय।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)

अनुसन्धान।